

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण संख्या 270/2017 वाद



बाबूलाल व अन्य

// बनाम //

मनीष व अन्य

दावा धारा 88, 188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 10.11.2017

वादीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई । वादीगण ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो गया है। अब वादीगण उक्त वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसी स्टेज पर विद्वा कर अपना वाद खारिज कराना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वयं उपस्थित। जिसको वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी सहमति स्वरूप प्रतिवादीगणों ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अपने द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को खारिज कराना चाहते हैं। प्रतिवादीगणों का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। वादीगणों का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा